रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240306
CG-DL-E-16112022-240306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944
No. 285] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/जल विद्युत स्टेशनों में उत्पादन और शिड्यूलिंग में लोचनीयता के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयोग के लिए ग्रिड से संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 09/11/2021-आरसीएम-भाग (1).—नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/जल विद्युत स्टेशनों में उत्पादन और शिड्यूलिंग में लोचनीयता के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयोग के लिए ग्रिड से संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 26 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1-खंड 1) में संकल्प संख्या 09/11/2021-आरसीएम-भाग (1) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2022 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है:-

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 5.1 को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है:,

5.1 पीपीए अवधि.—चूंकि पीपीए अवधि, निवेशक/नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत विकासकर्ता को वापस प्राप्त होने वाले निवेश की अवधि निर्धारित करके, टैरिफ को प्रभावित करती है, अतः पीपीए अवधि सामान्य रूप से शैड्यूल्ड कमीशनिंग डेट (एससीडी) से 25 (पच्चीस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तथापि, जहां तक नवीकरणीय ऊर्जा को सरकार की नीति के अनुसार ताप विद्युत/जल विद्युत संयंत्र के साथ बंडलीकृत करने का प्रस्ताव है, तो पीपीए अवधि ताप विद्युत या जल विद्युत संयंत्र के शेष जीवनकाल के अनुसार हो सकती है। आरई उत्पादक पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने आरई संयंत्र को प्रचालित करने और दीर्घावधिक/मध्यावधिक/अल्पावधिक पीपीए के माध्यम से अन्य खरीददारों को अपनी विद्युत बेचने अथवा एक्सचेंज में अथवा द्विपक्षीय करार के माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आर एंड आर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 15th November, 2022

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected RE Power Projects for utilisation under the scheme for flexibility in Generation and Scheduling of Thermal/Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage power.

No. 09/11/2021-RCM-Part (1).—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected RE Power Projects for utilisation under the scheme for flexibility in Generation and Scheduling of Thermal/Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage power have been notified vide Resolution No. 09/11/2021-RCM-Part(1) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 26th August 2022.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 26th August, 2022:-

Clause 5.1 of the existing guidelines is substituted with the following,

5.1 PPA Period: As the PPA period influences the tariff by determining the period over which the investment is returned to the investor/RE Power Developer, the PPA period should normally be 25 (twenty-five) years from the Scheduled Commissioning Date (SCD). However, where Renewable Energy is proposed to be bundled with Thermal/Hydro Plant in accordance with the policy of the Government, the PPA period may be in accordance with the balance life of the Thermal or Hydro Plant. The RE Generator will be free to operate their RE plant after the expiry of the PPA period and sell its power to other procurers through Long Term/Medium Term/Short Term PPAs or sell it in the Exchange or through bilateral agreement.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.16 11:43:55 +05'30'